न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीकांत व्यास (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:— 12/2025 राजस्व वाद

उनवान

बसन्त कुमार शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा — वादी

बनाम

1— तहसीलदार बनेड़ा — प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितः— वादी स्वंय

<u>निर्णय</u>

दिनांक 28.02.2025

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र अनुसार **ग्राम महुआखुर्द पटवार मण्डल महुआखुर्द भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा में स्थित खाता संख्या 594 आराजी नं. 1988 रकबा 0.1897 है0, खाता सं. 593 आराजी नं. 1127, 1129, 1149, 1150, 1396, 531/1, 809, 812 क्रमशः रकबा 0.3288, 0.0759, 0.0126, 1.5555, 1.1888, 0.1265, 0.2276, 0.2656 है0 एवं खाता सं. 682 आराजी नं. 801 रकबा 0.0379 है0 , खाता संख्या 602 आराजी नं. 1125, 1151, 1152 क्रमशः रकबा 0.1012, 04932, 0.0632 है0 खाता संख्या 664 आराजी नं. 2405, 2406, 2407, 2507/2405 क्रमशः रकबा 0.3415, 04806, 0.2276, 0.1138 है0 खाता संख्या 681 आराजी नं. 528 रकबा 0.0632 है0, खाता संख्या 78 के आराजी नं. 805 रकबा 0.0885 है0** प्रार्थी का नाम बसन्ती लाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहमण निवासी महुआखुर्द के नाम अंकित है।

यह है कि उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम बसन्ती लाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहमण निवासी महुआखुर्द का नाम राजस्व जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है जबकि आधारकार्ड, अंकतालिका व अन्य रिकार्ड में बसंत कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी महुआखुर्द अंकित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बसन्ती लाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहमण के बजाय बसंत कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा जाति ब्राहमण किये जाने हेतु निवेदन किया।

वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार बनेड़ा द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी ने अपने पहचान पत्र के रूप में अंकतालिका प्रस्तुत की।

अतः प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर व कानूनी प्रावधानों व दृष्टांतो के मध्यनजर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत उक्त आराजीयात में बसन्ती लाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहमण के बजाय बसंत कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा जाति ब्राहमण दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने से **ग्राम महुआखुर्द पटवार मण्डल महुआखुर्द भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा में स्थित खाता संख्या 594 आराजी नं. 1988 रकबा 0.1897 है0, खाता सं. 593 आराजी नं. 1127, 1129, 1149, 1150, 1396, 531/1, 809, 812 क्रमशः रकबा 0.3288, 0.0759, 0.0126, 1.5555, 1.1888, 0.1265, 0.2276, 0.2656 है0 एवं खाता सं. 682 आराजी नं. 801 रकबा 0.0379 है0 , खाता संख्या 602 आराजी नं. 1125, 1151, 1152 क्रमशः रकबा 0.1012, 04932, 0.0632 है0 खाता संख्या 664 आराजी नं. 2405, 2406, 2407, 2507/2405 क्रमशः रकबा 0.3415, 04806, 0.2276, 0.1138 है0 खाता संख्या 681 आराजी नं. 528 रकबा 0.0632 है0, खाता संख्या 78 के आराजी नं. 805 रकबा 0.0885 है0** भूमि में खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत **बसन्ती लाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहमण के बजाय बसंत कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा जाति ब्राहमण** को अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषत किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा द्वारा उक्त आदेशानुसार रेकार्ड में अमदरामद की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा

(श्रीकांत व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा